इंप्लाइज प्रोवीडेन्ट फन्ड (ई.पी.एफ.) प्रतिपूर्ति योजना–2012

प्रदेश में पूंजी निवेश को अकर्षित करने, अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने, आकर्षक निवेश गन्तव्य बनाये जाने, औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु उद्योगों द्वारा उपलब्ध श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग किया जाना आवश्यक है, श्रमिकों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इस आशय से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति –2012 के अन्तर्गत इंप्लाइज प्रोवीडेन्ट फन्ड (ई.पी.एफ.) प्रतिपूर्ति योजना प्राविधानित की गयी है, जिससे कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति प्राप्त हो सके।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली ऐसी नई औद्योगिक इकाईयाँ जिनके द्वारा 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा उनके द्वारा अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में दिये जाने वाले ई.पी.एफ. का नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के 3 वर्षो बाद उससे अगले 3 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्रियान्वयन एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् हैः–

1– योजना का शीर्षक इंप्लाइज प्रोवीडेन्ट फन्ड (ई.पी.एफ.) प्रतिपूर्ति योजना–2012

2– योजनावधि एवं पात्रता इस योजना के अन्तर्गते ऐसी नई औद्योगिक इकाईयाँ पात्र होगी जिन्होंने शासनादेश जारी होने के पश्चात् इकाई की स्थापना हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी का क्रय करके शासनादेश जारी होने की तिथि के 5 वर्षो के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो।

3–योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी।

4–परिभाषाएं (1) ‘‘इकाई’’ का तात्पर्य ऐसी नई औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 5 वर्षो के भीतर नई प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय कर के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

तथा

जिसने उद्योग निदेशालय, उ.प्र. के अधीन संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में ‘‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

2006'' के धारा-8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिये गये हो।

अथवा

जिसके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया हो।

(2) ''पिकप'' का तात्पर्य दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनी है।

(3) ''यू.पी.एफ.सी.'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के तहत गठित वित्तीय निगम है।

(4) ''वर्ष'' का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

(5) ''प्लाण्ट एवं मशीनरी'' का तात्पर्य नये यंत्र एवं संयंत्र से है जिसमें उपकरण, ह्यूमिडीफायर, जनरेटिंगसेट, ब्वॉयलर, कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट, डाईज एण्ड मोल्ड्स तथा इकाई के प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र, संयंत्र से है जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो।

(6) ''ई.पी.एफ.'' का तात्पर्य इंप्लाईज प्रोवीडेन्ट फण्ड एण्ड मिसलिनियस प्रोविजन्स एक्ट-1952 के अंतर्गत धारा-5 में परिभाषित इंप्लाइज प्रोवीडेन्ट फण्ड से है।

(7) ''श्रमिक'' का तात्पर्य ऐसे कुशल अथवा अकुशल श्रमिक से है जिसे इंप्लाईज प्रोवीडेन्ट फण्ड एण्ड मिसलिनियस प्रोविजन्स एक्ट-1952 के धारा-2(एफ) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

5-योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था

योजना का परिचालन प्रदेश में प्लान्ट एण्ड मशीनरी की मद में रू. 10 करोड़ तक निवेश करने वाली इकाईयों हेतु उ.प्र. वित्तीय निगम द्वारा किया जायेगा एवं शेष इकाईयो हेतु योजना का परिचालन पिकप द्वारा किया जायेगा।

6-योजना का स्वरूप

ऐसी नई औद्येगिक इकाईयॉ जो 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करायेंगी उनके द्वारा अकुशल श्रमिकों के पक्ष में जमा किये गये ई.पी.एफ. की 50 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के तीन वर्षों बाद उससे अगले तीन वर्षों हेतु की जायेगी।

7- प्रतिपूर्ति की अनुमन्य धनराशि

योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को जिनके द्वारा 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा तथा उनके द्वारा अकुशल श्रमिकों के पक्ष में नियोक्ता के ई.पी.एफ. का अंशदान की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के तीन वर्षो के पश्चात अगले 3 वर्षो अर्थात चौथे, पॉचवें व छठे वर्ष हेतु की जायेगी।

8-योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की पात्रता

(1) इकाई द्वारा प्रस्तर-2 पर उल्लिखित शर्तों का अनुपालन कर लिया हो।

(2) इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 3 वर्षों बाद उससे अगले तीन वर्षों में प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र 'प्रारूप-क' पर संबन्धित वर्ष से अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर तक प्राधिकृत संस्था को प्रस्तुत कर दिया गया हो।

प्रतिबन्ध यह है यदि इकाई निर्धारित अवधि के अन्दर ई. पी.एफ. प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र नहीं देती है तो ऐसी इकाई द्वारा विलम्ब की अवधि को उसकी तीन वर्ष की पात्रता अवधि के अन्तिम वर्ष में से घटा दिया जायेगा।

9- योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता व मानक

(1) इकाई द्वारा ई.पी.एफ. में 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों के पक्ष में जमा किये गये अंशदान का पूर्ण विवरण सम्बन्धित क्षेत्रीय ई.पी.एफ. कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

अथवा

यदि इकाई द्वारा ई.पी.एफ. ट्रस्ट की स्थापना की गई है तो इकाई द्वारा ई.पी.एफ. में 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों के पक्ष में जमा किये गये अंशदान का पूर्ण विवरण ट्रस्ट के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

(2) निर्धारित ''प्रारूप-ग'' पर नान-जूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र सम्पन्न हो चुका हो।

10-योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया

(1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति हेतु इच्छुक इकाई को उ.प्र. वित्तीय निगम के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय अथवा पिकप मुख्यालय को निर्धारित आवेदन-पत्र ''प्रारूप-क'' के साथ आवेदन करना होगा।

(2) उ.प्र. वित्तीय निगम के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय

अथवा पिकप मुख्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उ.प्र. वित्तीय निगम/पिकप द्वारा सम्यक परीक्षणोंपरान्त इकाई के पक्ष में ''प्रारूप-ख'' पर स्वीकृति पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत किया जायेगा।

(3) स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र ''प्रारूप-ग'' पर नान-जूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध प्राधिकृत संस्था के साथ इकाई द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।

11-भुगतान की प्रक्रिया

(1) प्राधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन को वर्ष के प्रारम्भ में अनुमानित वार्षिक मॉग प्रेषित की जायेगी।

(2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त मॉग के आधार पर स्वीकृत ई.पी. एफ. प्रतिपूर्ति की धनराशि शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में बजट में मांग की जायेगी।

(3) प्राधिकृत संस्था द्वारा शासन से बजट प्राप्त होने के उपरान्त इकाई के पक्ष में वितरण की कार्यवाही पन्द्रह कार्य दिवस में की जायेगी।

(4) इकाई द्वारा यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से किसी माह में 100 से कम अकुशल श्रमिकों का ई.पी.एफ. अंशदान का भुगतान किया जाता है तो योजना के अन्तर्गत उस माह में इकाई को ई.पी.एफ. की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

12- ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति योजना के अभिलेखों का रखरखाव

ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति की वितरित धनराशि का विवरण अभिलेखों एवं अन्य प्रपत्रों का संपूर्ण विवरण जनपदवार प्राधिकृत संस्था द्वारा रखा जायेगा।

13- स्वीकृत ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति सुविधा का निरस्तीकरण/ वसूली

निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने की दशा में संबंधित इकाइयों को ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं इकाई को ई. पी.एफ. प्रतिपूर्ति होने की दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भॉति वसूल किया जायेगा।

(1) जब कोई औद्योगिक इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मॉगी जाए, देने में असफल रहे।

(2) जब किसी औद्योगिक इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य सूचना देकर ब्याज उपादान प्राप्त किया हो।

(3) जब किसी औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 6 क्रमागत् वर्षों की अवधि के अन्तर्गत दैवीय आपदा अथवा अन्य किसी कारण से उत्पादन कार्य स्थाई रूप से

बन्द कर दिया हो।

14–इकाईयों द्वारा सूचनाओं का प्रस्तुत किया जाना। योजनावधि में इकाईयों द्वारा प्राधिकृत संस्था स्तर से मांगी गयी सूचनाओं का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। प्रति वर्ष उनके द्वारा किये गये उत्पादन आदि का विवरण एवं आडिटेड वार्षिक लेखा/वैलेन्स शीट संबंधित प्राधिकृत संस्था को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

15– व्यय भार योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा–अनुबंध पत्र व अनुषांगिक व्यय पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति उपादान की धनराशि का दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र इकाई द्वारा दिया जायेगा।

16– अन्य (1) योजना के संबंध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऐसे मामलें प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेगें।

(2) इकाई का प्रतिपूर्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने की दशा में प्रकरण सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. को संदर्भित किया जायेगा। सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. द्वारा दी गयी व्यवस्था अंतिम व सर्वमान्य होगी।

(3) योजनान्तर्गत किसी विषय बिन्दु पर स्पष्ट्रीकरण/नीतिगत निर्णय देने का अधिकार औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को होगा।

संलग्नक–क

इंप्लाइज प्रोवीडेन्ट फन्ड (ई.पी.एफ.) प्रतिपूर्ति योजना–2012

आवेदन पत्र

1– इकाई का नाम व पता

2– इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कंपनी(प्रा0/लि0/इंटरप्राइजेज साक्ष्य सहित प्रपत्र)

3- मुख्य प्रवर्तक/साझेदारों/निदेशकों का नाम एवं पता

4-दूरभाष, मोबाईल, ई-मेंल, बेवसाइट का विवरण

5- उद्यम पंजीकरण विवरण - संख्या दिनांक

(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करें)

6- पंजीकृत उत्पाद

7- उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि -

8- इकाई द्वारा किया गया कुल पूँजी निवेश का विवरण -

9- इकाई द्वारा नियुक्त किये गये अकुशल श्रमिकों का वर्षवार विवरण -

अ. अकुशल श्रमिकों की संख्या -

(100 अकुशल श्रमिकों का पूर्ण विवरण अंशदान सहित)

ब. अन्य श्रमिकों की संख्या -

स. कुल श्रमिकों की संख्या -

12- ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति हेतु दावों का विवरण

इकाई द्वारा ई.पी.एफ. में 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों के पक्ष में जमा किये गये अंशदान का माहवार पूर्ण वर्ष का विवरण सम्बन्धित क्षेत्रीय ई.पी.एफ. कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित।

अथवा

यदि इकाई द्वारा ई.पी.एफ. ट्रस्ट की स्थापना की गई है तो इकाई द्वारा ई.पी.एफ. में 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों के पक्ष में जमा किये गये अंशदान का माहवार पूर्ण वर्ष का विवरण तथा अंशदान के सापेक्ष नियमानुसार निवेशित धनराशि का ट्रस्ट के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये सभी विवरण सत्य है तथा पूर्ण 3 वर्ष इकाई में 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिक कार्यरत रहे है। संलग्न प्रमाण-पत्र के अनुसार है

जिसके आधार पर कुल धनराशि का 50 प्रतिशत रु..... ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जा रहा है।

मुख्य प्रवर्तक/अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

स्थान :